

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

(आयकर)

का.आ. 2904(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना का.आ. 2757(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया जा चुका है, की अनुसूची में-

(i) क्रम सं. 2076 से 2105 (2076-2105), के कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
2076	प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9, कोलकाता	कोलकाता
2077	आयकर अधिकारी (मुख्यालय), कार्यालय- प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9, कोलकाता	कोलकाता
2078	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(1), कोलकाता	कोलकाता
2079	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(1)(1), कोलकाता	कोलकाता
2080	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(1)(2), कोलकाता	कोलकाता
2081	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(1)(3), कोलकाता	कोलकाता
2082	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(1)(4), कोलकाता	कोलकाता

2083	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(1)(5), कोलकाता	कोलकाता
2084	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(1)(6), कोलकाता	कोलकाता
2085	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(2), कोलकाता	कोलकाता
2086	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(2)(1), कोलकाता	कोलकाता
2087	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(2)(2), कोलकाता	कोलकाता
2088	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(2)(3), कोलकाता	कोलकाता
2089	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(2)(4), कोलकाता	कोलकाता
2090	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(2)(5), कोलकाता	कोलकाता
2091	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 9(2)(6), कोलकाता	कोलकाता
2092	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(3), कोलकाता	कोलकाता
2093	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 9(3)(1), कोलकाता	कोलकाता
2094	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(3)(2), कोलकाता	कोलकाता
2095	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(3)(3), कोलकाता	कोलकाता
2096	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(3)(4), कोलकाता	कोलकाता
2097	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(3)(5), कोलकाता	कोलकाता
2098	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(3)(6), कोलकाता	कोलकाता
2099	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(4), कोलकाता	कोलकाता
2100	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(4)(1), कोलकाता	कोलकाता
2101	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(4)(2), कोलकाता	कोलकाता
2102	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(4)(3), कोलकाता	कोलकाता
2103	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(4)(4), कोलकाता	कोलकाता
2104	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(4)(5), कोलकाता	कोलकाता
2105	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-9(4)(6), कोलकाता	कोलकाता

(ii) प्रविष्टियां

- (क) क्रम सं. 3316 और 3317 (3316-3317), में कॉलम (2) और (3) में शब्द “शिमला” को “लुधियाना” पढा जाएगा।
- (ख) क्रम सं. 3521 और 3522 (3521-3522), में कॉलम (2) और (3) में शब्द “पंचकुला” को “शिमला” पढा जाएगा।

(ग) क्रम सं. 3468 से 3497 (3468-3497), को निरसित कर दिया जायेगा और क्रम सं. 3522 के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
3522क	प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1, शिमला	शिमला
3522ख	आयकर अधिकारी (मुख्यालय)कार्यालय-प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1, शिमला	शिमला
3522ग	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1), शिमला	शिमला
3522घ	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(1), शिमला	शिमला
3522ङ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(2), शिमला	शिमला
3522च	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(3), शिमला	शिमला
3522छ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(4), शिमला	शिमला
3522ज	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(5), शिमला	शिमला
3522झ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(6), शिमला	शिमला
3522ञ	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2), शिमला	शिमला
3522ट	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 1(2)(1), शिमला	शिमला
3522ठ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(2), शिमला	शिमला
3522ड	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(3), शिमला	शिमला
3522ढ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(4), शिमला	शिमला
3522ण	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(5), शिमला	शिमला
3522त	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 1(2)(6), शिमला	शिमला
3522थ	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3), शिमला	शिमला
3522द	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 1(3)(1), शिमला	शिमला
3522ध	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(2), शिमला	शिमला
3522न	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(3), शिमला	शिमला
3522प	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(4), शिमला	शिमला
3522फ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(5), शिमला	शिमला
3522ब	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(6), शिमला	शिमला
3522भ	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4), शिमला	शिमला
3522म	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(1), शिमला	शिमला
3522य	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(2), शिमला	शिमला
3522(कक)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(3), शिमला	शिमला
3522(कख)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(4), शिमला	शिमला
3522(कग)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(5), शिमला	शिमला

3522(कघ)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(6), शिमला	शिमला
----------	---	-------

(iii) क्रम सं. 3793 से 3822 (3793-3822), की प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जायेगा,

(iv) क्रम सं. 4017 के नीचे, निम्नलिखित सारणी जिसमें कॉलम सं. (1), (2) और (3) हैं, को अंतः स्थापित किया जाएगा और उन्हें सीसीआईटी (आरईएसी), बरेली के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाएगा—

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
4017क	प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1, हलद्वानी	हलद्वानी
4017ख	आयकर अधिकारी (मुख्यालय)कार्यालय-प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1, हलद्वानी	हलद्वानी
4017ग	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1), हलद्वानी	हलद्वानी
4017घ	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(1), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ङ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(2), हलद्वानी	हलद्वानी
4017च	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(3), हलद्वानी	हलद्वानी
4017छ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(4), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ज	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(5), हलद्वानी	हलद्वानी
4017झ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(1)(6), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ञ	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ट	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 1(2)(1), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ठ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(2), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ड	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(3), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ढ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(4), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ण	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(2)(5), हलद्वानी	हलद्वानी
4017त	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 1(2)(6), हलद्वानी	हलद्वानी
4017थ	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3), हलद्वानी	हलद्वानी
4017द	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)- 1(3)(1), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ध	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(2), हलद्वानी	हलद्वानी
4017न	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(3), हलद्वानी	हलद्वानी
4017प	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(4), हलद्वानी	हलद्वानी
4017फ	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(5), हलद्वानी	हलद्वानी
4017ब	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(3)(6), हलद्वानी	हलद्वानी
4017भ	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4), हलद्वानी	हलद्वानी
4017म	उप/सहायक आयकर आयुक्त (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(1), हलद्वानी	हलद्वानी
4017य	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(2), हलद्वानी	हलद्वानी

4017(कक)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(3), हलद्वानी	हलद्वानी
4017(कख)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(4), हलद्वानी	हलद्वानी
4017(कग)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(5), हलद्वानी	हलद्वानी
4017(कघ)	आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण एकक)-1(4)(6), हलद्वानी	हलद्वानी

[अधिसूचना सं. 70/2020/फा. सं. 187/3/2020 (आईटीए.;I)]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 65/2020 को का.आ. 2757(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था।